न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–308/2019

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी 10 सीडीआर वी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

वनाम्

1. धर्मादेवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी 10 सीडीआर वी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील रानियां जिला सिरसा हाल चक 10 सीडीआर वी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कैलाश पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील रानियां जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता वादीगण
श्री अरविन्द नैण अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 18/10/2019

वादीगण राजेन्द्र कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी एंवम् प्रतिवादीगणसं0 2 व 3 की माता प्रतिवादीसं0 1 के नाम से चकनं0 10 सीडीआर वी के खाता सं0 35/39 के प0न0 221/225 मु0 6 किलानं0 1,2,9 ता 12, 19 ता 22 व प0न0 221/256 मु0 14 किला नं0 1 व 2 कुल 2.960 है0 मय गै0मु0 खला दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृर्षि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति है। वर्णित कृर्षि भूमि का काफी अर्सा पूर्व घरू वटवारां (पारिवारिक समझौता) हो चुका है। मुताविक घरू वटवारां के वादी एंवम् प्रतिवादी सं0 2 अपनी आराजी पर काविज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीसं0 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृर्षि भूमि घरू वटवारा में मुझ वादी व प्रतिवादीसं0 2 के पक्ष में मौखिक रुप से तर्क कर दी है। अब प्रतिवादी सं0 3 वर्णित कृर्षि भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती। मुताविक घरू वटवारां के मुझ वादी को वादपत्र की दफा 3 में वर्णित कृर्षि भूमि चक 10 सीडीआर वी के खाता सं0 35/39 प0न0 221/255 मु0 6 किलानं0 2/.215, 9,12,19,22 व प0न0 221/256 मु0 14 किलानं0 2 व प्रतिवादीसं0 2 को इसी चक के प0न0 221/255 मु0 6 किलानं0 1/.215, 10,11,20,21 व प0न0 221/256 मु0 14 किलानं0 1 कृर्षि भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार वादी एंवम् प्रतिवादीगण सं0 2 मुताविक घरू वटवारां के रोज से काविज काश्त चले आ रहे है। परन्तु भू–अभिलेख में वर्णित कृर्षि भूमि अभी तक प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अंकन करवाकर चकनं0 10 सीडीआर वी के खाता सं0 35/39 में से धर्मादेवी पत्नी साहबराम का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि वादी एंवम प्रतिवादीसं0 2 के कब्जा काश्त में है जिस बाबत अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां (पारिवारिक समझौता) हो चुका है। मुताबिक घरू बटवारां के वादी एंवम् प्रतिवादी सं0 2 अपनी आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। मुझ प्रतिवादीसं0 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृर्षि भूमि घरू बटवारा में मुझ वादी व प्रतिवादीसं0 2 के पक्ष में मौखिक रुप से तर्क कर दी है। अब प्रतिवादी सं0 3 वर्णित कृर्षि भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती।मुताबिक घरू बटवारां के वादी को वादपत्र की दफा 4 में वर्णित कृर्षि भूमि वादी व प्रतिवादीसं0 2 को दी हुई है जिस पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 काबिज है। उपरोक्त बटवारा के अनुसार आराजी राजस्व रिकार्ड में अंकन कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 10 सीडीआर बी के खाता सं0 35/39 में से धर्मादेवी पत्नी साहबराम कानाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज व एतराज नही है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आपस में राजीनामा हो गया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादी राजेन्द्र कुमार को चक 10 सीडीआर बी के खाता सं0 35/39 प0न0 221/255 मु0 6 किलानं0 2/.215, 9,12,19,22 व प0न0 221/256 मु0 14 किलानं0 2 व प्रतिवादीसं0 2 विनोद कुमार को इसी चक के प0न0 221/255 मु0 6 किलानं0 1/.215, 10,11,20,21 व प0न0 221/256 मु0 14 किलानं0 1 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 10 सीडीआर बी के खाता सं0 35/39 में से धर्मादेवी पत्नी साहबराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर,एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner